

# कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा (म.प्र)

दूरभाष क्रमांक – 07573-230239

E-Mail ID – cmotimarni@mpurban.gov.in

क्रं. 895/लो.नि /2022

टिमरनी, दिनांक 16/12/2022

## // प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर परिषद टिमरनी द्वारा निम्नानुसार कार्य हेतु ऑनलाईन दर प्रतिशत आधार पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 17.12.2022 से 16.01.2023 तक ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं। निविदा वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध पर लागू जी.एस.टी. छोड़कर बुलाए जा रहे हैं। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवायें पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्वीकृत जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

एन.आई.टी. क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
	वार्ड क्रं. 14 में अम्बेडकर भवन ट्यूबवेल से श्री रेवाशंकर कुशावाहा के मकान से श्री रामनारायण एवं आनंद राजपूत के मकान तक वियरिंग कोट कार्य।	न.पा. निधि/अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस. आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	570408.00	5710	2000.00	04 माह

### KEY-DATES AS BELOW

- (1) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 17.12.2022 प्रातः 10.30 बजे से।
- (2) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16.01.2023 सायं 17.30 बजे तक।
- (3) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा ए एवं बी खोलने की तिथि 18.01.2023 प्रातः 11.00 बजे से।

शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
2. निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व ठेकेदार को पी.डब्ल्यू.डी. में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. दरें 10% ISSR से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी जमा करनी होगी।
4. 7% सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
5. ठेकेदार को दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के प्रकरण में ठेकेदार देयक से किये गये कार्य के मूल के 10% की कटौती की जायेगी।
6. 1% वाटर टेक्स अथवा वास्तविक जो भी अधिक हो, देयक में से काटा जावेगा यदि जल, नगरीय/शासकीय स्रोत से लिया गया है तो।
7. ठेकेदार को पेन नंबर, जी.एस.टी. नंबर, खाता क्रमांक, वैध मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी., ठेकेदार का पता देना अनिवार्य होगा।
8. डिफेक्ट लायवेल्टी पीरियड के संबंध में (लोक निर्माण विभाग म.प्र./नगरीय प्रशासन विभाग) शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
9. पृथक-पृथक देयकों के पूर्व रायल्टी प्रस्तुत करना होगी।
10. निर्माण कार्य करते समय डायवर्सन आदि की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
11. समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा प्रसारित नियम शर्तें यथा संशोधन स्वीकार करनी होगी।
12. वित्तीय बिड नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही खोली जावेगी।
13. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र हरदा होगा।
14. निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार निकाय के पास सुरक्षित होगा।
15. अन्य शर्तें लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।
16. अनुबंध हेतु सूचना पत्र जारी होने से 15 दिवस में अनुबंध करना होगा अन्यथा ई.एम.डी. जब करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
17. कार्य की मिकत डिजाईन/स्ट्रक्चर डिजाईन ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर अधिकृत प्रयोगशाला/शासकीय पॉलिटेक्निक/इंजिनियरिंग कॉलेज से अनुमोदित करवा कर प्रस्तुत करनी होगी।
18. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संशोधन का प्रकाशन केवल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर किया जावेगा। संशोधन के संबंध में समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी जावेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद टिमरनी  
जिला हरदा